हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

मंगलवार, 6 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्गार:**

स्वर्गीय श्री रामा नंद ठाकुर व श्री आत्मा राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार ।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, मंगलवार, 6 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए 3(43)99 दिनांक 16.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.08.2017 को प्रकाशित; और

(ii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 36 के खण्ड(ख) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी.बी)(ए)(3)-4/2015 दिनांक 28.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2017 को प्रकाशित ।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11(विलम्ब के कारणों सहित) ।

5. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2017-2018 का प्रस्तुतीकरण:-

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-171 004 | सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 5 मार्च, 2018 | सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)